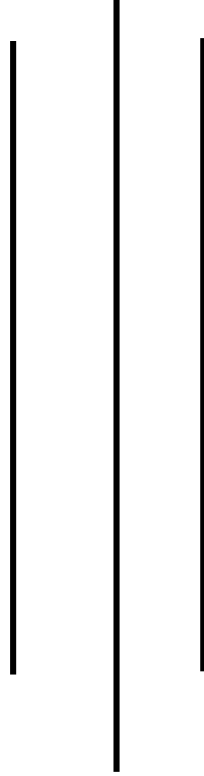




झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

संशोधित विवरणिका



विज्ञापन संख्या-03 / 2019

झारखण्ड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा-2019

JGGLCCE-2019

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या -11/क0 च0 आ0 -02-13/2015 का.-5361 (अनु.) दिनांक-08.07.2019, पत्र संख्या - 11/क0 च0 आ0-02-02/2013 का.-4729 (अनु.) दिनांक-18.06.2019, पत्र संख्या - 11/क0 च0 आ0- 02-12/2014 का.-4782 (अनु.) दिनांक-18.06.2019, पत्र संख्या- 11/विविध- 11-10/2014 का.- 3661 (अनु.) दिनांक-13.05.2019, पत्र संख्या- 11/क0 च0 आ0 -02-10/2015 का.- 6120 (अनु.) दिनांक-30.07.2019, संख्या-11/क0 च0 आ0 -02-23/2014 का.-4638 (अनु.) दिनांक-13.06.2019 एवं संख्या-11/क0 च0 आ0 -02-02/2016 का.-7495 (अनु.) दिनांक-16.09.2019 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं नगर विकास, आवास विभाग के अंतर्गत प्लानिंग अस्सिस्टेंट एवं ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में "झारखण्ड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2019" के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क:-

परीक्षा शुल्क रु. 1000 (एक हजार रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:-झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 250 (दो सौ पचास रुपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2015 के अंतर्गत विज्ञापन संख्या-14/2015 एवं 15/2015 में सम्मिलित हो चुके आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परन्तु उन्हें नये आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या (Registration Number) एवं जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। नये आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या (Registration Number) एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा।

विज्ञापन संख्या-14/2015 एवं 15/2015 की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित वैसे आवेदक जो इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रहेंगे अथवा इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो उनके अनुरोध पर परीक्षा शुल्क वापस करने की कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर अलग से सूचना प्रकाशित होगी।

3. रिक्तियों का विवरण :-

क्रम सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या					
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन शैतिज आरक्षण				
				महिला	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	1.अनारक्षित	155	18	04	04	04	03
		2.अनुसूचित जनजाति	43					
		3.अनुसूचित जाति	48					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	42					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	38					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	36					
		योग :-	362	18	04	04	04	03
2.	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,	1.अनारक्षित	90	11	02	02	02	02
		2.अनुसूचित जनजाति	65 (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)					
		3.अनुसूचित जाति	18					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	15					
		5.पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	13					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	22					
		योग :-	223	11	02	02	02	02
3.	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी,	1.अनारक्षित	68	07	02	01	01	01
		2.अनुसूचित जनजाति	27 (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)					
		3.अनुसूचित जाति	14					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	17					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13					
		योग :-	139	07	02	01	01	01
4.	अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो	1.अनारक्षित	69	08	02	02	01	01
		2.अनुसूचित जनजाति	48 (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)					
		3.अनुसूचित जाति	18					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	11					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	08					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	16					
		योग :-	170	08	02	02	01	01

5.	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	1.अनारक्षित	97	12	03	03	02	02
		2.अनुसूचित जनजाति	62 (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)					
		3.अनुसूचित जाति	24					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	19					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	15					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	24					
		योग :-	241					
6.	प्लानिंग अस्सिस्टेंट	1.अनारक्षित	03	01	01	00	00	00
		2.अनुसूचित जनजाति	01					
		3.अनुसूचित जाति	00					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	01					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	00					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00					
		योग :-	5					
7.	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	1.अनारक्षित	51	06	01	01	01	01
		2.अनुसूचित जनजाति	32 (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)					
		3.अनुसूचित जाति	13					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	07					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	05					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	12					
		योग :-	120					

➤ कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।

- परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है।

5. कंडिका- 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	वेतन बैंड पी.बी. II – रु.9300–34800 ग्रेड वेतन– रु. 4600	स्नातक या समकक्ष डिग्री।
2	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	वेतन बैंड पी.बी. II – रु.9300–34800 ग्रेड वेतन– रु. 4200	
3	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	वेतन बैंड पी.बी. II – रु. 9300–34800 ग्रेड वेतन – रु. 4200	
4	अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो	वेतन बैंड पी.बी. II – रु. 9300–34800 ग्रेड वेतन – रु. 4200	
5	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	वेतन बैंड पी.बी. II – रु. 9300–34800 ग्रेड वेतन – रु. 4200	
6	प्लानिंग अस्सिस्टेंट	वेतन बैंड पी.बी. I – रु. 5200–20200 ग्रेड वेतन – रु. 2800	
7	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	वेतन बैंड पी.बी. II – रु. 9300–34800 ग्रेड वेतन – रु. 4200	

शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

6. आयु सीमा:-उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा की संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की संदर्भ तिथि
1	2	3	4
1	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	01.08.2019	01.08.2015
2	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	01.08.2019	01.08.2010
3	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	01.08.2019	01.08.2010
4	अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो	01.08.2019	01.08.2010
5	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	01.08.2019	01.08.2010

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा की संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की संदर्भ तिथि
1	2	3	4
6	प्लानिंग अस्सिस्टेंट	01.08.2019	01.08.2019
7	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	01.08.2019	01.08.2019

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 21 वर्ष

(ख) अधिकतम उम्र सीमा:—(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-609, दिनांक-25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)

(i) अनारक्षित — 35 वर्ष।

(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं
पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरुष) — 37 वर्ष।

(iii) महिला
[अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)
एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)] — 38 वर्ष।

(iv) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला) — 40 वर्ष।

(ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दस वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पक्ष से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- IX) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(घ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण-पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त "ग" या "ङ" में कोई एक ही मान्य होगा।

7. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा :

निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी

- (i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय है।
- (ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।
- (iii) निःशक्त अभ्यर्थी श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं अथवा उनके द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की मांग करने पर सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक द्वारा यह सुविधा अनुमान्य करायी जायेगी।
- (iv) निःशक्त अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (Admit Card) में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्रदान करने के लिए अपना आवेदन पत्र परीक्षा की तिथि से तीन दिनों पूर्व समर्पित करेंगे। यदि निःशक्त अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था की जाती है तो सम्बन्धित श्रुतलेखक/स्क्राइब के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-X)** में दी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी इस आवेदन के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्व-आभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करेंगे।
- (v) यदि निःशक्त अभ्यर्थी श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करते हैं तो श्रुतलेखक/स्क्राइब से सम्बन्धित सूचना अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-X)** में परीक्षा की तिथि को परीक्षा प्रारम्भ होने के $1\frac{1}{2}$ घंटे पूर्व निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्व-आभिप्रमाणित प्रति के साथ देंगे।
- (vi) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होंगे।
- (vii) परीक्षा की तिथि को श्रुतलेखक/स्क्राइब के साथ अभ्यर्थी परीक्षा के $1\frac{1}{2}$ घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे।

8. पात्रता:-

- I. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-5938, दिनांक-14.07.2016, संकल्प संख्या-3854, दिनांक-01.06.2018 एवं संकल्प संख्या-8468, दिनांक-20.11.2018 के आलोक में उपर्युक्त कंडिका-3 में वर्णित पदों पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवार ही रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन देने के पात्र होंगे। अर्थात् झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी आवेदन समर्पित करने के पात्र नहीं होंगे। स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संदर्भ में विस्तृत अनुदेश नीचे की कंडिका-9 (I) में अंकित है।
- II. परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित

अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

- III. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतद् संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है।

9. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

9 (I) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र –

(क) सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-9650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VIII पर धारित है।

(ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ङ) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

- (क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-I** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-III** पर धारित है।

- (ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-II** पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में **गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र** समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-V** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-IV** पर धारित है।

- (ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-VI) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए।

- (घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (च) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।

- (ज) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2358, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (उपर्युक्त कंडिका-9(II)(क), 9(II)(ख) एवं 9(II)(ग) में उल्लेखित) से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सपेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोट:-(I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I से परिशिष्ट- VIII, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में कंडिका-9(II)(ख) में अंकित स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(III) विवरणिका की कंडिका-9(I) में वर्णित स्थानीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(IV) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(V) आवेदक उपर्युक्त विहित प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

(VI) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10. **ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:**

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
 - (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।
 - (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।
 - (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
- (ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा— तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

11. **Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना :** ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

- i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for JGGLCCE-2019 को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगइन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।
- iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग-इन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगइन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगइन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।
- v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।

- vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व निर्गत प्रमाण पत्रों से भिन्न प्रमाण पत्र देने पर इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

12. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:-

दिनांक-24.10.2019 से दिनांक-26.10.2019 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रवृष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरान्त पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

13. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :- ऑनलाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत् हैं:-

- क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक-18.09.2019 से 11.00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक-17.10.2019 की मध्य रात्रि तक।
- ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक-21.10.2019 की मध्य रात्रि तक।
- ग) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक-23.10.2019 की मध्य रात्रि तक।
- घ) दिनांक-24.10.2019 से दिनांक-26.10.2019 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रवृष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

14. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:-

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने JGLCCE-2019 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

15. **पदों का विकल्प :-**

अभ्यर्थियों को उपलब्ध पदों के अनुसार पदों के लिए आवेदन में अधिमानता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा।

16. **परीक्षा का स्वरूप :-**आयोग द्वारा ओ0एम0आर0 आधारित परीक्षा लिया जायगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा।

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी -

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पन्द्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जाएगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जाएगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल होंगे।

सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

भाषेतर विषयों को छोड़कर प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

1. **प्रारम्भिक परीक्षा :-**

(i) प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा।

पत्र - सामान्य ज्ञान (कुल प्रश्न - 120, परीक्षा अवधि - 2 घंटा)

(क) सामान्य अध्ययन	—	30 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	—	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	—	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	—	20 प्रश्न
(ङ) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	—	30 प्रश्न
कुल	—	120 प्रश्न

(ii) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

पत्र - सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न

पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञान:-

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणित:-

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जाँच:-

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:-

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

- 17.** प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी। अनारक्षित और आरक्षित अभ्यर्थियों के कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।

18. मुख्य परीक्षा :-

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे:-

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) : कुल प्रश्न – 120, परीक्षा अवधि – 2 घंटा

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान – 60 प्रश्न

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान – 60 प्रश्न

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अर्हतांक निर्धारित रहेगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा अर्थात् यह पत्र अर्हक (Qualifying) प्रकृति का होगा।

पत्र – 2

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न-100, परीक्षा अवधि- 2 घंटा

हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / संथाली / बंगला / मुण्डारी / हो / खड़िया / कुड़ूख (उरांव) / कुरमाली / खोरठा / नागपुरी / पंचपरगनिया / उड़िया / संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

पत्र- 3

सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न-150, परीक्षा अवधि- 2 घंटा

(क) सामान्य अध्ययन – 30 प्रश्न

(ख) सामान्य विज्ञान – 20 प्रश्न

(ग) सामान्य गणित – 20 प्रश्न

(घ) मानसिक क्षमता जाँच – 20 प्रश्न

(ङ) कम्प्यूटर का ज्ञान – 20 प्रश्न

(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान – 40 प्रश्न

टिप्पणी:- पत्र-1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र-2 एवं पत्र-3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :-

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :-

- | | | |
|--|---|-----------|
| (i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न | — | 30 प्रश्न |
| (ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न | — | 30 प्रश्न |

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (क्षेत्रीय भाषा)

हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / संथाली / बंगला / मुण्डारी / मुण्डा / हो / खड़िया / कुड़ूख (उरांव) / कुरमाली / खोरठा / नागपुरी / पंचपरगनिया / उड़िया / संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

हिन्दी

1. भाषा

हिन्दी की उत्पत्ति

पुरानी हिन्दी अवहट्ट

डिंगल

भाषा के विभिन्न रूप :- रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, संचार भाषा।

हिन्दी का शब्द भंडार:- तत्सम्, तद्भव, देशज, विदेशज।

भाषा विज्ञान :- भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास घ्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन।

साहित्य सिद्धान्त :- काव्य-लक्षण, काव्य-हेतु, काव्य-प्रयोजन, शब्द-शक्ति, रस, छंद, अलंकार।

पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्त:-प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आइ0ए0 रिचर्ड्स, टी0एस, इलियट के सिद्धान्त।

प्रयोजनमूलक हिन्दी :- अवधारणा, प्रशासनिक हिन्दी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन।

2. साहित्य

काव्य- पुस्तक – काव्य कुन्ज

निर्धारित कवि- विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण।

(ख) काव्य वीथि

निर्धारित कवि— भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल।

3. उपन्यास

- क. गोदान — प्रेमचन्द।
ख. मैला आँचल — फणीश्वर नाथ रेणु।
ग. रांगदरबारी — श्रीलाल शुक्ल।

4. कहानियाँ

- क. मधुआ — जयशंकर प्रसाद
ख. ठाकुर का कुआँ — प्रेमचन्द
ग. नीलम देश की राजकन्या— जैनेन्द्र कुमार
घ. परिन्दे — निर्मल वर्मा
ङ. दिल्ली में एक मौत— कमलेश्वर
च. वापसी — उषा प्रियवंदा
छ. अभिशप्त — यशपाल
ज. मिसपाल — मोहन राकेश

पुस्तक— कथा केतन

5. नाटक

- क. भारत—दुदर्शा— भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
ख. ध्रुव स्वामिनी— जयशंकर प्रसाद
ग. आधे— अधूरे— मोहन राकेश

हिन्दी साहित्य का इतिहास—

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास— रामचन्द्र शुक्ल
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास— सं० डॉ० नागेन्द्र

व्याकरण :- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, महावरे।

English Language and Literature

1. Language

- I. Error Recognition
- II. Fill in the Blanks
- III. Vocabulary
- IV. Spellings
- V. Grammar- Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb Agreement, Interchangeability of noun and Verb, Gerund, Participle, Infinitive, Adverb, tense, Clause, Transformation, Narration, Voice, Preposition.
- VI. Sentence Structure
- VII. Synonyms
- VIII. Antonyms
- IX. Sentence Completion
- X. Idioms & Phrases
- XI. Comprehension Passage etc.

2. Literature

- **Novel-** Old man and the Sea- Earnest Hemingway; The Painter of signs- R.K. Narayan; The Power and the Glory- Graham Greene; Fasting, Feasting- Anita Desai
- **Drama-** The Tempest- William Shakespeare; Dr. Faustus Christopher Marlowe; Final Solutions- Mahesh Dasttani, Hayavadana- Girish Karnard.
- **Poetry-** Sonnet-29- William Shakespeare; The Rainbow- William Wordsworth; The Traveller- Walter De La Mare; Lead Kindly Light- Cardinal Newman; the Splendour Falls- Alfred Lord Tennyson; Ode to a Nightingale - John Keats; The Hollow Men- T.s. Eliot; Telephone conversation- Wole soyinka; A River- A.K. Ramanujan
- **Short Stories-** A Snake in the Grass- R.K. Narayan; The Castaway- Rabindranath Tagore; The man of the House- Frank O'Connor; The Flood- Kamala Markandaya; The country of the Blind- H.G. Wells; The basement Room- Graham Greene.
- **Essay-** Voluntary Poverty- M.K. Gandhi; Discipline for Daily Life- Lewis Mumford; The Civilization of To-day- C.E.M. Joad; Letter to a Teacher- Nora Rossi and Tom Cole (Trans.); Kamala Nehru- Jawaharlal Nehru.
- **History of the English Language :** A History of English Lnguage- A.C. Baugh, Origins of the English Language- Joseph Willies.

- **Phonetics** - A Text Book of English Phonetics for Indian students- Balasubramaniam, A Course in Phonetics - P. Ladefoged.

Urdu Language and Literature

1. **Urdu Literature Prose**

- | | | |
|------|--------------|-----------------------|
| I. | Kafan | - Premchand |
| II. | Naya Qanoon | - Saadat Hassan Munto |
| III. | Aakhri Harba | - Elyas Ahmed Gaddi. |

Poems

- | | | |
|------|---------------|---------------------|
| I. | Muflisi | - Nazeer Akbarabadi |
| II. | Subh-e-Azadi | - Faiz Ahmed Faiz |
| III. | Waladat Nabvi | - Hali. |

Ashar

- | | | |
|------|---|-------------------|
| I. | Aai Rashni-e-tabe jala kiyon Nahi deti | - Siddque Mujeebi |
| II. | Sabnam Bhigi Ghas per chalna kitna aachha lagta hai | - Prakash Fikri |
| III. | Tamannaon Main Uljhaya gaya Hoon | - Shad Azimabadi. |

2. i. Umraoan Ada - Mirza Hadi Ruswa.

3. **Grammar**

- | | |
|------|----------|
| I. | Gender |
| II. | Opposite |
| III. | Meaning |
| IV. | Singular |
| V. | Plural |
| VI. | Similar. |

कुरमाली

1. **व्याकरण** :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, कारक, पुरुष, क्रिया, अव्यय, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेली (बुझौवल)।
2. **कुरमाली लोकसाहित्य** :-
 - क. लोक साहित्य की परिभाषा, कुरमाली लोककथा, वर्गीकरण, लोकनाट्य लोकगीत : डाँइडधरा, एढ़ेइया, बाँदना, करम, बिहा, डमकच।

- ख. शिष्ट साहित्य : आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ, कवित-रचना-विधान
- ग. कहानी : कुरमाली केहनी जड़ती की सभी कहानियाँ।
- घ. निबंध : महाकवि विनन्द सिंह, गौरांगिया, संतकवि सृष्टिधर, संतकवि महीपाल, डॉ नन्द किशोर सिंह

हो

1. **व्याकरण** :- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, पुरुष, विलोम शब्द, काल, मुहावरे, पहेली, कहावत आदि।
2. **साहित्य** :-
 - (क) हो लोक साहित्य :- अर्थ, परिभाषा, हो आदिवासी के उद्भव और विकास, गोत्र। लोकगीत-मागे, बा, हेरो: जोमनमा आदि।
 - (ख) हो शिष्ट साहित्य
 - (ग) नाटक- गिरुनगर- चोम्पानगर
 - (घ) उपन्यास- होकुड़ि
 - (ङ.) निबंध :- मागे पोरोब, हेरो पोरोब, हेरमुट, बा पोरोब, जोनोम, दोस्तुर, आदि दोस्तुर, गोनो:य दोस्तुर।
 - (च) कविता :- हर्ताहसा, जोनोम दिसुम, अले दिसुमरे, अबुअ: नमा भारत, दुल सुनुम जुलो: दिसुम लागिड।

खोरठा

1. **गद्य भाग**

(क) छौंइहर (कहानी संग्रह)	-	लेखक	-	चितरंजन महतो चित्रा
(ख) सोंध माटी (कहानी संग्रह)	-	लेखक	-	डॉ० विनोद कुमार
(ग) खोरठा निबन्ध	-	लेखक	-	डॉ० बी०एन० ओहदार
2. **पद्य भाग :-**

(क) दामुदेरक कोराज्	-	लेखक	-	शिवनाथ प्रमाणिक
(ख) आँखीक गीत	-	लेखक	-	श्री निवास पानुरी

- (ग) खोरठा-कोठ पइदेक खेड़ी – लेखक – डॉ० ए०के०झा
(घ) एक मउनी फूल – लेखक – संतोष महतो

3. नाटक

- (क) डाह – सुकुमार
(ख) अजगर – लेखक – विश्वनाथ दसौधी राज
(ग) चाभी काठी – लेखक – श्री निवास पानुरी
(घ) उदवासल कर्ण – लेखक – श्री निवास पानुरी

4. साहित्य की अन्य विद्याएँ:-

- (क) संस्मरण
(ख) जीवनी
(ग) यात्रा वृत्त
(घ) शब्द चित्र

खड़िया

1. व्याकरण- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया, काल, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, पहेलियों, मुहावरे, बुझावल, उल्टा शब्द आदि।
2. (क) खड़िया साहित्य – अर्थ, परिभाषा, भेद-उपभेद, खड़िया जाति का उद्भव और विकास, गोत्र विभाजन, गढ़ विभाजन।
लोकगीत- जाड कोर, कमर बंदोई, कदलेटा, जनम पर'ब, मुरड', बिहा (केरसोड)
(ख) खड़िया शिष्ट साहित्य – गद्य-पद्य साहित्य।
(ग) कहानी – लोककथा।
(घ) निबंध – शहीद तेलेंगा खड़िया, गोपाल खड़िया, खड़िया महासभा, बंदोई, जाड कोर, करम, जनम पर'ब'।

पंच परगनिया

1. व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, काल समास, अव्यय, मुहावरा, पहेलि, बुझौवल आदि।
2. साहित्य – पंच परगनिया लोक साहित्य—अर्थ, परिभाषा, भाग, विभाग, पंच परगनिया भाषा साहित्य की विशेषतायें आदि।
3. लोकगीत – पुस लोक गीत, बिहा गीत, करम गीत, सँहरइ गीत, मंत्र गीत और बालगीत आदि।
4. मध्यकालीन कवियों की काव्य रचना – पाठयांश।
5. कहानी – पाठयांश से संबंधित कहानी।
6. निबंध— सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भौगोलिक विषयों पर आधारित

संताली

1. व्याकरण— संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया, काल, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, पहेलियाँ, मुहावरे, बुझोबोल
2. साहित्य—
(क) संताली लोक साहित्य – अर्थ, परिभाषा, भाग— विभाग, संतालों का उद्भव और विकास, गोत्र विभाजन, गाढ़ विभाजन।
लोक गीत— डाहार, बाहा, सोहराय, काराम दोड, दाँसाय।
(ख) संताली शिष्ट साहित्य – कविता, कुडकुरुबुद, साँवहेँत्, मारांड़ो, सेंगेल, बिरसा मुण्डा, तुपुनघाट, साना, राहला रिमिल।
(ग) कहानी – माड़घाटी, तारा आञ्चार, आनखा लाहा, काथा रेनाड गोनोड।
(घ) निबंध – सिदो कानहू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल, डिबा किसुन हुल, बिरसा आन्दोलन।

उड़िया

1. भाषा विभाग

भाषा

उपभाषा

भाषार उत्पत्ति सिधांत

भाषा परिवर्तनर कारण

भाषा परिवर्तनर दिग

ध्वनि परिवर्तनर कारण

उड़िया भाषा उपरे अन्यान्य भाषार प्रभाव

2. उड़िया साहित्यर इतिहास

आरम्भरु पंचसखा युग पर्यन्त

लोकगीत

लोक कहाणी

लोक नाटक

लोक वाणी

शरला दास पंचसखा युग (बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानन्द दास, जशोवंत दास, अनंत दास)

सहायक ग्रंथसूची

(क) भाषा विज्ञानर रूपरेख	—	डॉ० वासुदेव साहु
(ख) उड़िया भाषार उनमेश ओ विकाश	—	डॉ० वासुदेव साहु
(ग) भाषा शास्त्र परिचय	—	डॉ० गोलक विहारी धल
(घ) ध्वनि विज्ञान	—	डॉ० गोलक विहारी धल

3. गल्प विभाग

गल्प ओ एकांकिका	—	Edition 2000 (OBSE)
(क) रेवती	—	फकीर मोहन सेनापति
(ख) तुमे कि सते पथर हेल	—	गोदावरीश महापात्र
(ग) बउला	—	राज किशोर राय
(घ) आईवुढ़ी	—	वंसत कुमार सतपथि
(ङ) अशुभ पुत्रर काहाणी	—	अच्युतानंद पति

4. एकांकिका विभाग

गल्प ओ एकांकिका	Edition 2000 (OBSE)
(क) दूर पाहाड़	— प्राणवन्धु कर
(ख) फल्गु	— मनोरंजन दास

5. व्याकरण विभाग

विशेष्य, विशेषण, संधि, समास, वाक्य रूपान्तर, भ्रम संशोधन, समच्चारित शब्द, एकपदरे प्रकाश, कुदन्त तद्धित।

संस्कृत भाषा

1. भाषा विज्ञान,
 2. संस्कृत साहित्य का इतिहास,
 3. वैदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद्)
 4. वेदाङ्ग, (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द)
 5. व्याकरण (स्वर—व्यंजन, वर्ण, स्वर, ध्वनि, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कृत् प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, सन्धि, समास तथा वाक्य रचना) पर आधारित होंगे।
- पूर्वमेध (कालिदास), उत्तररामचरित (भवभूति), अभिज्ञान शाकुन्तलम् (चतुर्थ अंक), कादम्बरी (शुक नाशोपदेश), भिक्षुपाल वध (प्रथम सर्ग), किरातार्जुनीयम् (प्रथम सर्ग) तथा शिवराज विजय ग्रन्थों से भी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

शब्द रूप निम्न शब्दों के (सातों विभक्तियों में)

बालक, लता, नदी, मुनि, गुणिन्, साधु, भवत्, अस्मद् युस्मद् तत् (तीनों लिङ्गों में), सर्व, युवती, लेखनी, रेणु, पयस्, वस्तु तथा आत्मन्।

धातु रूप (लट् लोट्, विधि लिङ्ग, लङ् तथा लृट् लकारों में)

पठ्, गम्, दृश्, पा, हन्, भू, अस्, नृत्, लिख्, दिश्, मुच्, स्था, यच्छ्, शच्, तथा अर्च्।

नागपुरी भाषा साहित्य पाठ्यक्रम

1. व्याकरण :- वर्ण, सज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, उपसर्ग प्रत्यय काल, क्रिया, वाक्य, उपसर्ग प्रत्यय, समास, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं कहावतें, वाक्य शुद्धि।
2. साहित्य :-
 - (क) नागपुरी लोक साहित्य— लोक गीत, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरे
 - (ख) लोक गीत— डमकच, पावस, उदासी, फगुआ पंचरंगी, फगुआ पुछारी, झूमर, अंगनई, लहसुआ झुमआ, सोहराई गीत।
 - (ग) नागपुरी लोक कथा—तिरियाँ चरित, वनाहरनी कर बेटा, सातभाई एक बहिन, छोटकी बोहोरिया, नवाँचाद आदर गोपीचांद।
 - (घ) नागपुरी शिष्ट साहित्य— वन केंवरा— भाग—एक—गद्य—पद्य संग्रह शकुंतला मिश्र एवं डॉ० उमेश नन्द तिवारी

मुण्डारी

1. व्याकरण—संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग पुरुष, क्रिया, काल, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, पहेलियाँ, मुहावरे, बुझौवल ।

2. साहित्य —

(क) मुण्डारी लोक साहित्य— अर्थ, परिभाषा, भाग—विभाग, मुण्डाओं का उद्भव और विकास, गोत्र विभाजन, गढ़ विभाजन ।

लेकगीत— बा, करम, सोहराई, अड़ान्दि ।

(ख) मुण्डारी शिष्ट साहित्य — कविता, बिरसा मुण्डा, प्रेम प्रसंग, प्रकृति गीत ।

(ग) कहानी—करम कथा, सृष्टि कथा, जीव जन्तु की कथा, सियार और बुढ़ा की कथा ।

(घ) निबन्ध— बिरसा मुण्डा के अलगुलान, गया मुण्डा, चोट्टि मुण्डा, माघे परब, माडा परब, सोहराई परब इत्यादि ।

Bengali

1. Prose, Poetry, Drama

(A) Krishnakanter will - Bankim Chandra Chattopadhyay

(B) Pather Panchali - Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay

(C) Chitra - Rabindranath Thakur (Selected)

(i) Sukh (ii) Urabashi (iii) 1400 sal (iv) Antarjami (v) Jibandebota

(D) Madhukari - Kalidas Roy (Selected)

(i) Mahakal (ii) Duiti Sattabani (iii) Mitrakkar (iv) Kalapahar

(v) Purano Kagajer Feriwala.

(E) Sajahan - Dwijendra Lal Roy

(F) Nananna - Bijon Bhattacharjee

(G) Sahityer Rup O Riti

(i) Mahakabya (ii) Gitikabya (iii) Tragedy (iv) Comdedy (v) Romanticism
(vi) Classicism

Khudukh

1. व्याकरण— संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, पुरुष, विलोम शब्द, काल, मुहावरे, पहेली, कहावत आदि।

2. साहित्य— (क) कुडुख लोक साहित्य— अर्थ, परिभाषा, उद्भव और विकास, गोत्र।

लोक गीत — बेंजा, लूझकी, तोकना डंडी, खद्दी करम, असारी, बरोया धुड़िया।

(ख) कुडुख शिष्ट साहित्य— नाटक, उपन्यास, कहानी, शहीद, निबन्ध, कविता, यात्रा वृत्तांत, आलोचना का उद्भव और विकास एवं विशेषताएँ।

पत्र -3 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन:—

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञान:—

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणित:—

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जाँच:-

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं –सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान:-

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम.एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम.एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:-

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

19. मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया एवं मेधा सूची का निर्माण:-

19.(1) मुख्य परीक्षा के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के अनुसार आरक्षणवार चयनसूची गठित होगी। मुख्य परीक्षा में पत्र-2 एवं पत्र-3 के प्राप्तांकों के योगफल में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-

(I)	अनारक्षित (पुरुष एवं महिला)	— 40 (चालीस) प्रतिशत
(II)	अनुसूचित जनजाति(पुरुष एवं महिला)	— 32 (बत्तीस) प्रतिशत
(III)	अनुसूचित जाति(पुरुष एवं महिला)	— 32 (बत्तीस) प्रतिशत
(IV)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –(अनुसूची-1) पुरुष	— 34 (चौत्तीस) प्रतिशत
(V)	पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरुष)	— 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत
(VI)	महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1))	— 32 (बत्तीस) प्रतिशत
(VII)	आदिम जनजाति	— 30 (तीस) प्रतिशत

19.(2) मुख्य परीक्षा के पत्र-2 एवं पत्र-3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची का गठन किया जाएगा।

19.(3) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में कंडिका-18 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक के योग के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। चयन सूची मेधा-सह-विकल्प के आधार पर तैयार की जायेगी।

19.(4) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष अथवा अन्य अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक समकक्ष अथवा अन्य अर्हता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

19.(5) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी अंकित होगा। इस सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

19.(6) परीक्षा के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा अपने स्तर से अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच करायी जायेगी।

19.(7) प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के अभ्यर्थी के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

20. नियुक्ति:-

- (i)** परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii)** सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अधीन होगी।

21. अन्यान्य:-

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-
 - (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जानेकी स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :-
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :-
 - (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
 - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंगसे शामिल करना।
 - (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में **500 (पाँच सौ रुपये)** शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि **Online** भरा हुआ आवेदन पत्र **Submit** करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, **Bluetooth** आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।
- (xvii) प्रवेश पत्र (**Admit Card**) आयोग के **Website** पर **Upload** होगा जिसे अभ्यर्थी **Download** कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (**Admit Card**) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (**Admit Card**) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (**Admit Card**) में फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

- (xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।
- (xix) Onlineदिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातो की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है। प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यता: जमा करना होगा।
- (xx)आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखे प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह./—
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7/जा.नि.—19—11/2008
का.—5682 दिनांक— 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या—.....

तिथि:—.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
डाकघर..... थाना जिला राज्य.....
अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप जाति
के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में
मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....में
निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में
अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति)
संशोधन आदेश 1950
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7/जाति-19-11/2008
का.-10007 दिनांक— 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं,
जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
(अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में
मान्यता प्राप्त समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक— 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग,
भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक— 08.09.
1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

पदनामकार्यालय

के सील सहित

परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/जा.नि.—03—13/2015/का.
1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा
अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में) पता—ग्राम/वार्ड/शहर.
..... पो०.....थाना..... जिला/प्रमंडल.....
.....राज्य/संघशासित प्रदेश, झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा
अनुसूचित जनजाति के अधीनजाति के सदस्य हैं तथा धर्म को मानने
वाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर
..... जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की
सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की
धारा— 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:-

- i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/
प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक
समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी
- ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा
यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित
जानजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

परिशिष्ट (IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/जा.नि.—03—13/2015/का.
1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
ग्राम/नगर..... जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
..... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदों के लिए आरक्षण
(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े
वर्ग (अनुसूची-I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये धर्म को माननेवाले
हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड
राज्य के ग्राम/ नगर जिला/प्रमंडल में
निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित
तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक— 10.06.2002
द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993
के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा
के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। किन्तु
क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण
पत्र की वैधता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट (v)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं पिता
पति/पत्नी निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर
..... पोस्ट थाना
अंचल जिला राज्य
एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत
सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था. (एस.सी.टी.)/
झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या दिनांक में निहित आदेश के अनुसार
नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला अंचल के
द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या दिनांक निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से
कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित
कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो
इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा.द.वि. एवं अन्य
सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट (VI)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.

Date

Valid for the Year

This is certify that Shri/Smt./ Kumari son/daughter/wife of permanent resident of village/street post office District in the State/Union Territory Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/Her family does not own or possess any of the following assets***.

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/EBC-I/BC-II.

Recent Passport
size attested
Photograph of the
applicant

Signature with seal of office

Name

Designation

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट (vii)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०..
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और
यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प
संख्या-3198 दिनांक— 18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में
निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट—VIII

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक—19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति श्री.....
..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....
थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—3198 दिनांक—
18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है।
प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय
निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट-IX

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

अनुबन्ध-1

प्रमाण पत्र संख्या.....

तारीख.....

निशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....

पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी

निःशक्तता से ग्रस्त-

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनो टांगे (बी.एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बाहें (बी.ए.) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी.एल.ए.) – दोनों टांगे और बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ.ए.) एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एन.डब्ल्यू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी. – अंधापन

(ii) पी. बी. – आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी. – बधिर

(ii) पी. डी. – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती।.....वर्षों.....महिनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पुरा करते/करती है:-

- | | |
|--|----------|
| (i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी. पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के. सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी – झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) एस. टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर. डब्ल्यू – पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

(डॉ०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड।

(डॉ०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड ।

(डॉ०.....)

अध्यक्ष

चिकित्सा बोर्ड।

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-X

झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2019

श्रुतलेखक/स्क्राइब की विवरणी:-

1. अभ्यर्थी का नाम.....2. रोल नं०-
3. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत-
4. परीक्षा केन्द्र का नाम
5. परीक्षा कक्ष सं० (इसे खाली छोड़ दें)
6. श्रुतलेखक/स्क्राइब का नाम-
7. श्रुतलेखक/स्क्राइब के पिता/पति का नाम-
8. श्रुतलेखक/स्क्राइब का पता-
9. श्रुतलेखक/स्क्राइब की जन्म तिथि-
10. श्रुतलेखक/स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा या कोर्स का नाम	संकाय	वर्ष	उत्तीर्ण/अध्ययनरत	प्राप्तांक का प्रतिशत	बोर्ड/महाविद्यालय
1	2	3	4	5	6

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि श्रुतलेखक/स्क्राइब श्री/श्रीमती/सुश्री 12वीं/इंटरमिडियेट तक शिक्षित हैं तथा मेरे निकट संबंधी नहीं हैं। उक्त घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

श्रुतलेखक/स्क्राइब का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

11. टिप्पणी-

वीक्षक का हस्ताक्षर

केन्द्र पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर